राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com

क्रमांकः एफ 40(79)ग्रावि / नरेगा / कन्वर्जेन्स–आंगनबाड़ी / 2014 (पार्ट–1)   जयपुर, दिनांकः 24 FEB 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस,
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण बाबत।

प्रसंगः– संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा, भारत सरकार का पत्र क्रमांक J-11016/11/ 2012-MGNREGA -IV **दिनांक 17.02.2016 एवं 12.01.2016।**

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 17.02.2016 द्वारा संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा, भारत सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के महिला एवं बाल विकास विभाग की आईसीडीएस योजना के साथ कन्वर्जेन्स कर बनाये जाने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायतीराज मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त हस्ताक्षरों से जारी दिशा–निर्देशों की प्रति भिजवाई है। प्रासंगिक पत्र दिनांक 12.01.2016 द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देश दि. 13.08.2015 एवं 14.12.2015 में किये गये संशोधन की प्रति भिजवाई है। प्रासंगिक पत्रों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की बेहद कमी को देखते हुए हाई बर्डन जिलों तथा आईपीपीई ब्लॉक के अलावा अन्य ब्लॉकों में भी महात्मा गांधी नरेगा योजना के आईसीडीएस योजना के साथ कन्वर्जेन्स कर आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु विभागीय परिपत्र दिनांक 10.11.2015 द्वारा संयुक्त दिशा–निर्देश जारी किये हुए है (प्रति विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध)। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 पर उल्लेख है कि इन कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत होगी एवं श्रम सामग्री अनुपात का संधारण जिला स्तर पर किया जावेगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रारम्भ किये गये सभी कार्यों के लिए कुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित सामग्री संघटक की लागत ग्राम पंचायत स्तर पर चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ग्राम पंचायतों से भिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यों के लिए कुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित समग्र सामग्री संघटकों की लागत जिला स्तर पर चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

आंगनबाडी केन्द्र भवन के निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना से रु0 5.00 लाख तक की राशि तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से शेष राशि (अधिकतम 2 लाख) देय है। शौचालय एवं पीने के पानी की व्यवस्था पंचायती राज विभाग की चौदहवे वित्त आयोग योजना से की जावेगी।

कृपया आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु आवश्यक स्वीकृति जारी कराने की कार्यवाही पूर्ण करा कर एमआईएस में इन्द्राज करावें तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से इन कार्यों हेतु राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

24/2/16

(रोहित कुमार)
आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि, सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि, सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. श्री रिंकु, एम.आई.एस. मैनेजर, कार्यालय हाजा को ईमेल करने एवं वैबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

24/2/2016

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

No. J-11016/11/2012-MGNREGA-IV
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 17.2.2016

To

The Spl. SCs/Prl. Secretaries/Secretaries of Rural Development (In-charge – MGNREGA).

Sub : Guidelines for construction of Anganwadi Centres under MGNREGA in convergence with ICDS scheme of Ministry of Women and Child Development.

Sir/Madam,

As per Para 4(1) IV (v) of Schedule – 1, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), construction of buildings for Anganwadi centres is permitted.

In view of the above, the guidelines for construction of Anganwadi Centres under MGNREGA in convergence with ICDS scheme of MoWCD and other suitable schemes jointly signed by the Secretary, Department of Rural Development, Secretary, Ministry of Women and Child Development and Secretary, Ministry of Panchayati Raj is enclosed herewith for necessary action at your end.

It is requested to share these guidelines with the concerned functionaries for taking up the construction of Anganwadi Centres in the identified/to be identified locations.

Yours faithfully,

17/2/16

(Aparajita Sarangi)
Joint Secretary (MGNREGA)

Encl: As above.

Copy to : PPS to Secretary, DoRD, Ministry of Rural Development/Ministry of Women and Child Development/Ministry of Panchayati Raj for information.